रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2244] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2016/भाद्र 24, 1938
No. 2244] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2016/BHADRA 24, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2016

का.आ. 2944(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से छूट प्रदान करने के पश्चात् तत्कालीन भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पर्यावरणीय अनापत्ति(ईसी) की विधिमान्यता से संबंधित पैरा 9 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9. पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) की विधिमान्यता:

(i) "पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता से वह अवधि अभिप्रेत है जिससे विनियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर की जाती है या आवेदक द्वारा यह समझा जा सकेगा कि यह ऊपर पैरा 8 के उप पैरा (iii) के अधीन परियोजना या क्रियाकलाप द्वारा उत्पादन प्रचालन आरंभ करने या संनिर्माण परियोजना की दशा में (अनुसूची की मद 8) सभी संनिर्माण प्रचालन पूरा करने, जिसके लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदन का निर्देश करता है, मंजूर की गई है। किसी परियोजना या क्रियाकलाप के लिए नदी घाटी परियोजनाओं (अनूसूची की मद 1(ग) की दशा में, दस वर्ष की अवधि के लिए, विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन

समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा यथा प्राक्कलित परियोजना की अवधि खनन परियोजनाओं के लिए अधिकतम तीस वर्षों के लिए और सभी अन्य परियोजनाओं तथा क्रियाकलापों की दशा में सात वर्ष होगी ।

(ii) क्षेत्र विकास परियोजनाओं और नगरों की दशा में (मद 8(ख) सात वर्ष की विधिमान्य अवधि केवल ऐसे क्रियाकलापों तक सीमित होगी जो विकासकर्ता के रूप में आवेदक का उत्तरदायित्व हो:

परंतु उपरोक्त पैरा (i) और पैरा (ii) के संबंध में विधिमान्यता की इस अवधि को संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा तीन वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा, यदि कोई आवेदक द्वारा विनियामक प्राधिकरण को संनिर्माण परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए (अनुसूची की मद 8) अद्यतन प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क सहित विधिमान्य अवधि के भीतर आवेदन किया जाता है:

परंतु यह और कि विनियामक प्राधिकरण यथास्थिति, विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति से, ऐसा विस्तार मंजूर करने के लिए परामर्श कर सकेगा ।

(iii) जहां उपरोक्त उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) के अधीन विस्तार के लिए आवेदन-

(क) पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्य अवधि के पश्चात् तीस दिन के भीतर फाइल किया गया है वहां ऐसे मामले संबद्ध विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति के निर्दिष्ट किए जाएंगे और उनकी सिफारिशों के आधार पर, विलंब, यथास्थिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति या सदस्य सचिव, जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति के सूतर पर माफ किया जा सकेगा ;
(ख) जब पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्य अवधि के पश्चात् तीस दिन से अधिक किंतु ऐसी विधिमान्य अवधि के पश्चात् नब्बे दिन से कम के भीतर फाइल किया गया है तब विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति या जिला सूतरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों के आधार पर विलंब, यथास्थिति पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री या अध्यक्ष के अनुमोदन से माफ किया जा सकेगा:

परंतु विलंब के लिए कोई माफी पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्य अवधि के पश्चात् नब्बे दिन से परे फाइल किए गए विस्तार संबंधी किसी आवेदन के लिए मंजूर नहीं की जाएगी ।"

[फा. सं. 22-27/2015-आईए- III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013, का.आ., 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ., 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ., 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014, का.आ. 1559(अ), तारीख 25 जून, 2014, का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014, का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014, का.आ. 3252(अ),

तारीख 22 दिसंबर, 2014, का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015, का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015, का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015, का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015, का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015, का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015, का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015, का.आ. 141(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016 और का.आ. 648(अ), तारीख 3 मार्च, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14 th September, 2016

S.O. 2944(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment(Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment(Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule(3) of rule 5 of the said rule, in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 namely:-

In the said notification, for paragraph, 9 relating to Validity to Environment Clearance (EC), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"**9.Validity of Environmental Clearance (EC):**

(i) The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub-paragraph (iii) of paragraph 8, to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior environmental clearance refers. The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects [item 1(c) of the Schedule], project life as estimated by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and seven years in the case of all other projects and activities.

(ii) In the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period of seven years shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer:

Provided that this period of validity with respect to sub-paragraphs (i) and (ii) above may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of three years if an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form I, and Supplementary Form IA, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule):

Provided further that the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, for grant of such extension.

(iii) Where the application for extension under sub-paragraphs (i) and (ii) above has been filed-

(a) within thirty days after the validity period of Environmental Clearance, such cases shall be referred to concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee and based on their recommendations, the delay shall be condoned at the level of the Joint Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Member Secretary, State Level Expert Appraisal Committee or Member Secretary, District Level Expert Appraisal Committee, as the case may be;

(b) more than thirty days after the validity period of Environmental Clearance but less than ninety days after such validity period, then, based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee, the delay shall be condoned with the approval of the Minister in charge of Environment, Forest and Climate Change or Chairman, as the case may be :

Provided that no condonation for delay shall be granted for any application for extension filed beyond ninety days after the validity period of Environmental Clearance.".

[F. No. 22-27/2015-IA-III]
MANOJ KUMAR SINGH, Jt Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O.695(E) dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012 , S.O.674(E) dated the 13th March, 2013, S.O.2204(E) dated the 19th July, 2013, S.O.2555(E) dated the 21st August, 2013, S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 , S.O.637(E) dated the 28th February, 2014, S.O.1599(E) dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014, S.O. 2600 (E) dated 9th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015, S.O. 811(E) dated 23rd March, 2015, S.O. 996 (E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142 (E) dated 17th April, 2015, S.O. 1141 (E) dated 29th April, 2015, S.O.1834 (E) dated the 6th July, 2015, S.O.2571 (E) dated the 31st August, 2015, S.O.2572 (E) dated the 14th September, 2015, S.O.141 (E) dated the 15th January, 2016 and S.O.648 (E) dated the 3rd March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.17 11:41:07 +05'30'